nt>

MR. SPEAKER: Shri Ram Singh Kaswan.

This will be treated as laid on the Table of the House.

Title: Need to have the Punjab Government's decision on water agreements reviewed with a view to avoid water crisis in Rajasthan.- Laid.

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार ने 12 जुलाई को पंजाब विधान सभा का विशेा सत्र बुलाकर नदी जल बंटवारे के संबंध में 1981 के जल बंटवारे सहित सभी पुराने समझौतों को रद्द करने के लिए "दी पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट्स बिल" 2004 सर्व सम्मति से पारित कर कानून बनवा दिया है। पंजाब की इस कार्यवाही से राजस्थान में गंभीर जल संकट की स्थिति पैदा हो गई है। इस कदम की राजस्थान में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है व सभी दल इस संबंध में एकजुट हो गए हैं। पंजाब के इस कदम से संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। पंजाब को अंतर्राज्यीय समझौते को एक तरफा रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर पंजाब अचानक रावी-व्यास नदी से राजस्थान की जीवन-रेखा इंदिरा गांधी नहर में पानी देना बंद कर देता है, तो ऐसी भयावह स्थिति पैदा होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, 15 लाख एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित होकर फिर से रेगिस्तान बन जाएगी। इतना ही नहीं, पीने के पानी की भी भयंकर किल्लत पैदा हो जाएगी। वर्तमान में राजस्थान को 1981 में हुए समझौते के अनुरूप उसके हिस्से का पूर्ण 8.60 एम.ए.एफ. पानी नहीं मिल रहा है। वर्ा से 60 एम.ए.एफ. पानी पंजाब उपयोग में लेता आ रहा है। आज राजस्थान को इस पानी की नितांत आवश्यकता है। यही नहीं नहरों के सभी हैडवर्क्स का नियंत्रण पंजाब से भाखड़ा व्यास नियंत्रण मंडल को हस्तांतरित करना था, वह भी अभी तक नहीं हुआ है। जब तक यह नहीं होगा समस्या का स्थाई हल नहीं हो सकेगा।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि पंजाब में नदी जल संबंधी पूर्व स्थिति बहाल हो व केन्द्र सरकार पहल कर इस गम्भीर समस्या का हलकर राजस्थान के साथ न्याय करे।